बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–...................../ दिनांक–............................

सं०सं०–03/उ०नि०/प्रशि0(सिपेट)–03/2014(खण्ड संचिका)

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषयः– **वित्तीय वर्ष–2015–16 में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सेन्ट्रल इन्स्टीच्युट ऑफ प्लास्टिक्स इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET), हाजीपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति के विभिन्न कौशल में कुल 100 युवा/युवतियों को प्रशिक्षण देने हेतु अतिरिक्त अनुमानित व्यय कुल ₹60.00 लाख (साठ लाख) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–3249, दिनांक–13.08.2015 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष–2015–16 में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सेन्ट्रल इन्स्टीच्युट ऑफ प्लास्टिक्स इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET), हाजीपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति के विभिन्न कौशल में कुल 100 युवा/युवतियों को प्रशिक्षण देने हेतु अतिरिक्त अनुमानित व्यय कुल ₹60.00 लाख (साठ लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. सिपेट, हाजीपुर इच्छुक अभ्यर्थियों का चयन पूर्व में निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुरूप करेगें।

3. उक्त योजनान्तर्गत अनुसूचित जन जाति के 12वी/आई0टी0आई0 उतीर्ण युवा/युवतियों को प्रशिक्षण दी जायेगी।

4. प्रति प्रशिक्षणार्थी 60,000 रूपये की दर से भुगतान की जायेगी।

5. प्रशिक्षण की अवधि छः माह की निर्धारित की गयी है। जो पूर्णतः आवासीय होगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि का मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 08–उपभोगता उद्योग, लघु शीर्ष 796–जनजाति क्षेत्र उप योजना, मॉग संख्या 23, उप शीर्ष 0101 आर्थिक सहायता, विपत्र कोड P2852087960101, विषय शीर्ष 20 03–प्रशिक्षण व्यय मद में उपबंधित राशि से **₹60.00 लाख (साठ लाख) मात्र** विकलित होगा, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

7. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी कर मुख्य प्रबंधक (परियोजना), सिपेट, हाजीपुर को आर0 टी0 जी0 एस0/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराऐगें।

8. इस योजना मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगे। जो इसका अनुश्रवण करेगें, तथा ए0सी0–डी0सी0 विपत्र का समायोजन हेतु मुल अभिश्रव संबंधित संस्था से प्राप्त कर समुचित जॉचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुये उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेगें।

9. राशि की निकासी BTC-26 पर की जायेगी।

10. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–*03/उ०नि०/प्रशिक्षण(सिपेट)–03/2014(खण्ड)* के **पृष्ट–62/टि0** प0 पर दिनांक **08.03.16** को प्राप्त है। जिसका **गै0स0प्रे0 संख्या–106,** दिनांक **08.03.16** है।

11. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–*03/उ०नि०/प्रशिक्षण(सिपेट)–03/2014(खण्ड)* के पृष्ट–**63**/टि0 पर दिनांक **10.03.16** को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या–**70/OSD,** दिनांक **09.03016** है।

क्रमशः पृष्ट–02 पर...

12. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0(2), दिनांक–18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि0 (2), दिनांक–17.04.98 की कंडिका–2 एवं पंत्राक–2938 वि0 (2), दिनांक–08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 की कंडिका–15 के आलोक में उक्त स्वीकृत राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355 / वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी मे प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................... /
सं०सं०–03 / उ०नि० / प्रशि0(सिपेट)–03 / 2014(खण्ड संचिका)
पटना, दिनांक...........................

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................... /
सं०सं०–03 / उ०नि० / प्रशि0(सिपेट)–03 / 2014(खण्ड संचिका)
पटना, दिनांक...........................

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1054 /
सं०सं०–03 / उ०नि० / प्रशि0(सिपेट)–03 / 2014(खण्ड संचिका)
पटना,दिनांक 11.3.16

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग / आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / सिपेट, हाजीपुर / निदेशक, तक0, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना / सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार / प्रशाखा पदाधिकारी–1 (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंन्धक, उद्योग निदेशालय / प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग / प्रशाखा–1 (सरकार) योजना शाखा को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा–3, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
11.3.16

(4)

D:drive_sujeet_Dharmendra sir_\Sanction Order/2015-16---------42